स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 295 , दिनांकः 23–11–2020

लूट व पुलिस मुठभेड़ की घटना में वांछित व जनपद शाहजहॉपुर से रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि को थाना बसन्त बिहार, देहरादून (उत्तराखण्ड) से गिरफ्तार।

दिनाकः 22–11–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को लूट एवं पुलिस मुठभेड़ की घटना में वांछित व जनपद शाहजहॉपुर से रू0 25,000/– के इनामी अपराधी सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि को थाना बसन्त बिहार, देहरादून (उत्तराखण्ड) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि पुत्र स्वः विश्राम बाल्मीकि निवासी ग्रा0. चाहरपुर, थाना मदनापुर, जनपद शाहजॅहापुर।

बरामदगीः–

1– लूट का पैसा रू0 17800/–
2– एक अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक :–

हरवंशवाला, थाना बसन्त बिहार, देहरादून, दिनांक 22–11–2020, समय 17–30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक श्री लाल प्रताप सिंह के निर्देशन में एस0टी0एफ0 मुख्यालय की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। उक्त के क्रम में उप निरीक्षक श्री अंजनी कुमार तिवारी के नेतृत्व में मु0आ0 विनोद सिंह, कान्स0 प्रभाकर पाण्डेय, कान्स0 प्रशांत कुमार की एक टीम शाहजहॉपुर में अभिसूचना संकलन हेतु मौजूद थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि वर्तमान में मोहल्ला हरवंशवाला, थाना बसन्त बिहार, देहरादून में रह रहा है। इस सूचना पर तत्काल जनपद शाहजहॉपुर थाना कांट के मु0अ0सं0 555/2020 धारा 307/420/482 भा0वि0द0 के विवेचक को साथ लेकर देहरादून पहुँच कर उपरोक्त सुनील उर्फ टन्नू को देहरादून के थाना बसन्त बिहार क्षेत्र हरवंशवाला से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया तथा थाना बसन्त बिहार, देहरादून (उत्तराखण्ड) को सूचित करने के उपरान्त जनपद शाहजहॉपुर के थाना कांट में दिनांक 23.11.2020 को दाखिल किया गया।

पूछताछ पर अभियुक्त सुनील उर्फ टन्नू बाल्मीकि ने बताया कि उसके द्वारा दिनांक 03.10.2020 को थाना तिलहर क्षेत्र में तमन्चा दिखा कर एक बैग लूट लिया था, जिसमें रू0 65000/– व आधार कार्ड मौजूद था। इस लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना तिलहर जनपद शाहजहॉपुर में मु0अ0सं0 768/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसके अतिरिक्त दिनांक 15.08.2020 को वह अपने सगें भाई राजेश उर्फ झण्डू के साथ जा रहा था कि पुलिस से मुडभेड़ हो गयी। इस मुडभेड़ में इसका भाई गिरफ्तार कर लिया गया तथा वह मौके से पुलिस पार्टी पर फायर करके फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में

थाना कांट, जनपद शाहजहॉपुर में मु0अ0सं0 555/2020 धारा 307/420/482 भा0वि0द0 पंजीकृत हुआ था। इसी मुकदमें में इस पर रू0 25000/–का पुरस्कार जनपद शाहजहॉपुर पुलिस द्वारा धोषित किया गया। पुरस्कार धोषित होने के उपरान्त से ही वह देहरादून में लुकछिप कर रह रहा था तथा लूटे हुए पैसे को खर्च कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त के पास से लूट के बचे हुए रू0 17800/– व लूटे हुए व्यक्ति का आधार कार्ड बरामद किया गया तथा थाना तिलहर, जनपद शाहजहॉपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 768/2020 धारा 392 भादवि का भी अनावरण हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।